I am not prepared to refer to them. But this House is interested to know one thing, because yesterday, men, women and children were mercilessly beaten by the police who were coming in the bus. I would request you to ask the hon. Home Minister to make a statement tomorrow at least on that matter.

MR. SPEAKER : I am proceeding to the next item of business.

12·44 hrs.

[MR DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : अभी आपने जो रिपोर्ट सदन में गैर सरकारी सदस्यों के बिलों और प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्रस्तुत की है उसमें एक विधेयक संसद् का एक अधिवेशन दक्षिण भारत में किये जाने के बारे में भी है। यह अधिवेशन हैदराबाद या बंगलौर में किये जाने के बारे में है। कमेटी ने इसकी बी कैटेगरी का विधयक माना है। क्योंकि सदन के अधिकांश सदस्य इस विषय में दिलचस्पी रखते हैं इसलिए अगर इसको ए कैटगेरी का विधेयक मान लिया जाए तो अच्छा हो ताकि जल्दी ही इस पर सदन के विचार जानने का अवसर मिल सके।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have just presented the report. When it comes here for adoption you can raise this issue and not now.

12·45 hrs.

TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं मंत्री महोदय से इस बिल के बारे में एक खुलासा चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इस आर्डिनेंस के जरिये या इस विधेयक के जरिये इनको कितनी आमदनी होगी, क्या इसका अनुमान लगाया गया है। उनके जवाब में यह बात शायद नहीं आई इसलिए में यह सवाल पूछ रहा हूं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : एनुटी डिपोजिट के अन्तर्गत....

M87LSS/67—7

श्री मधु लिमये : मैं पूरा पूछ रहा हूं, तीन चार सुझाव दिये हैं उन सब के बारे में मैं पूछ रहा हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : एनुटी डिपोजिट स्कीम के अन्तर्गत जो आमदनी होगी उसके आंकड़े तो मेरे पास हैं। करीब दस करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होने की आशा है। मैंने कल भी बताया था...

श्री मधु लिमये : एंटरटेनमेंट।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : एंटरटेनमेंट से कितना फर्क पड़ेगा या छः प्रतिशत से नौ प्रतिशत करने पर कितना बढ़ेगा, इसके आंकड़ें मेरे पास नहीं हैं।

श्री मधु लिमये : इस विचित्र स्थिति को आप देखिये। एक विधेयक पेश किया जाता है। उस पर मंत्री महोदय का पहला भाषण होता है। फिर जवाबी भाषण होता है। लेकिन जरूरी आंकड़े सदन को नहीं दिये जाते हैं। जब नया टैक्स लादा जाता है या घटाया जाता है तो कुछ तो अनुमान आपके पास होना चाहिये।

SHRI K. C. PANT : Whenever a precise estimate is possible, we give it in the Financial Memorandum. But we do not speculate. It is very difficult to say how much people will spend, what the allowance will be, whether they will observe the necessary discipline or not etc. It is very difficult to say whether people will pay their taxes in time or not. These will be speculative and I would not hazard any figure.

MR. DEPUTY-SPEAKER : We will now take up clause-by-clause consideration.

There is no amendment to clause 2.

The question is :

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 2 was added to the Bill.
Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4—*(Amendment of Act 43 of 1961)*

MR. DEPUTY-SPEAKER : There are some amendments. Mr. Kothari is not here.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : I beg to move :

Page 3,—

after line 34, *insert*—

'(iia) in section 243, to sub-section (1), the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that if the Income-tax Officer fails to pay the interest due to the assessee on the refund, the Central Government shall pay, in addition to the interest, a penal interest of twelve per cent. per annum on the interest due.".' **(2)**

श्री बेणी शंकर शर्मा (बांका) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

Page 4, *omit* lines 15 to 33. **(4)**

उपाध्यक्ष महोदय, इस छोटे से संशोधन के द्वारा मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान गत बजट अधिवेशन के अवसर पर उनके द्वारा दिये गए आश्वासनों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। एनुटी डिपाजिट स्कीम से अभी अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि करीब दस करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होगी। इसकी आमदनी तो नहीं कह सकते, यह तो एक कर्ज है। लेकिन सरकार का अनुमान है कि दस करोड़ के करीब इससे उन्हें प्राप्त होगा। मंत्री महोदय को याद होगा कि गत बजट अधिवेशन में उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने आश्वासन दिया था कि भूतलिंगम कमेटी की रिपोर्ट को मानते हुए वे एनुटी डिपाज़िट स्कीम को धीरे धीरे खत्म कर देंगे। इस बात का संकेत उन्होंने अपने बजट भाषण में दिया था। तब उन्होंने इस लिमिट को पंद्रह हज़ार से बढ़ा कर पच्चीस हज़ार कर दिया था। समझ में नहीं आता कि इतने थोड़े से समय के बीतने पर ऐसी कौन सी बड़ी मुसीबत आ गई है कि इस लिमिट को फिर घटा कर 15,000 पर लाना पड़ा है और इससे कितना रुपया वित्त मंत्री जी के खजाने में आ जाएगा जिस की वजह से जो आश्वासन उप प्रधान मंत्री जी ने दिया था उससे उनको मुकर जाना पड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि :

Consistency is not the virtue of a politician; it is the virtue of a particular animal.

किन्तु जहां तक कि वित्त मंत्री जी का संबंध है उनकी एक साख है; उनके एक एक शब्द की कीमत है और उसी के आधार पर लोग अपने भविष्य के आंकड़ों का निर्माण करते हैं, व्यापार की प्लानिंग करते हैं और जिस तरह से देश में समृद्धि हो उसके लिए अपनी स्कीमें बनाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अपने भाषण में उन्होंने यह भी बतलाया था कि किस प्रकार वे एक तरह से करों को दरों को स्थायी करेंगे जिससे लोगों को अपने व्यापार के संबंध में ठीक ढंग से प्लानिंग करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। किन्तु उनके उस बजट भाषण की स्याही सूखने भी नहीं पायी थी कि उन्होंने तुरंत अपनी बात को बदल दिया और 15 हजार से 25 हजार रुपये के ऊपर ऐन्यूइटी लगाने का प्रस्ताव इस विधेयक के द्वारा पेश कर दिया। मैं समझता हूं कि 15 हजार से 25 हजार तक की ऐन्यूइटी डिपाजिट से केवल 1 करोड़ से कुछ अधिक की ही रकम प्राप्त होने वाली है। इतनी रकम तो वे अपने खर्चे की एक मद में कमी करके निकाल सकते थे। अभी जो नया इनकम टैक्स का रिटर्न बनाया गया है उसकी छपाई में इतने रुपये खर्च हो गए होंगे। मैं नहीं समझता हूं कि इतने बड़े रिटर्न की कोई आवश्यकता थी। वह रिटर्न कम से कम 75 परसेंट लोगों के किसी काम की वस्तु नहीं होगी। 25 परसेंट के काम की होगी।... (**व्यवधान**) ...

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि उन्होंने जो आश्वासन दिए थे जिसके आधार पर जो लोगों ने अपनी धारणायें बनाई थीं, उससे वे न मुकरें। कम से कम अपनी बातों की साख लोगों के मन में जमने दें। लोगों के मन में यह विश्वास हो गया था

कि ऐन्युइटी डिपाजिट कम से कम आने वाले बजट में एकदम से उठा लिया जायगा। मैं समझता हूं कि लोगों के इस विश्वास को बड़ा गहरा धक्का उनके इस कार्य से लगेगा और आगे वह जो भी कुछ बोलेंगे उसमें इनका विश्वास कभी भी नहीं रहेगा। वित्त मंत्री के लिए उसकी साख बड़ी कीमत होती है। उसके शब्दों का बड़ा मूल्य होता है। उसके आश्वासनों की एक कदर होती है। मैं इस छोटी सी रकम के लिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी इस साख को कम न करें।

श्री कंवर लाल गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें दो अमेंडमेंट्स दिए हैं। एक अमेंडमेंट तो मेरा यह है कि यह जो कानून है उसमें यह व्यवस्था है कि जो भी रिफंड छः महीने से ज्यादा पड़ा रहेगा तो उस पर सरकार छः प्रतिशत के बजाय 9 प्रतिशत ब्याज देगी। छः प्रतिशत ब्याज अभी तक आप देते हैं। मैंने उसमें यह कहा है कि अगर सरकार वह ब्याज न दे तो उसको एक पीनल इन्टरेस्ट देना चाहिए असेसी को 12 परसेंट के हिसाब से एक साल में। यह अमेंडमेंट मैं ने क्यों दिया उसका मैं कारण बताना चाहता हूं। होता क्या है कि सरकार ब्याज ले तो लेती है लेकिन जब देने की बात आती है तो देती नहीं। मैं यह पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि कितने साल से यह 6 परसेंट इन्टरेस्ट का प्राविजन ऐक्ट में है, यह होते हुए भी आपने कितना ब्याज दिया? जिन लोगों का छः महीने में रिफंड नहीं हुआ? कितने लोगों को दिया? उपाध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि बहुत ही थोड़ा ब्याज करीब करीब नहीं के बराबर है जो इन्होंने दिया है। क्योंकि कोई भी आदमी इनकम टैक्स आफिसर को नाराज नहीं कर सकता। वह कहते हैं कि अच्छा आप ब्याज मांगना चाहते हैं? तो फिर आंखें दिखाते हैं और नतीजा यह होता है कि कोई ब्याज कैलकुलेट भी नहीं करता कि कितना ब्याज देना चाहिए, देने का सवाल तो अलग रहा। मेरे पास आंकड़े हैं। मैं बताना चाहता हूं मंत्री महोदय को कि इनकी यह आडिट रिपोर्ट है रेवेन्यू रिसीट्स की। उसके मुताबिक 1965–66 तक 16.50 रुपये तो एक दिए गए हैं और 245 रुपये एक दिए गए हैं। यानी सारे हिन्दुस्तान में 27 लाख असेसीज हैं। इनको इन्होंने 261 रु० 50 पैसे ब्याज का कुल दिया है और रिफंड ड्यू कितना था लोगों का वह भी इसमें आंकड़े हैं। जो लोगों को रिफंड लेना था वह 72 लाख 83 हजार रुपय 31-3-1966 को लेना था। 31–3–1966 को सरकार की तरफ लोगों का इतना वाजिब था। लेकिन 261 रुपया 50 पैसा अभी तक ब्याज में एक साल में सरकार ने दिया। वह भी किसी इनकम टैक्स आफिसर को दिए होंगे या मंत्री महोदय को किसी को दिए होंगे... (**व्यवधान**)... आपका तो पहले ही रिफंड आता होगा या आपसे तो ज्यादा लिया ही नहीं जाता होगा। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में केवल दिल्ली में नहीं सारे देश में आज यह हो रहा है कि यह कानून बनने के बाद भी, मोरार जी भाई के यहां पर कहने के बाद भी मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि रिफंड किसी एसेसी को नहीं मिलता जब तक कि वहां जा कर उनकी पेट पूजा नहीं की जाती। जब तक पूजा नहीं की जाती है तब तक किसी को रिफंड नहीं दिया जाता। इन्होंने दूसरा एक अमेरिकन सिस्टम भी बना दिया। दिल्ली में वह लागू है। उसमें क्या होता है कि असेसमेंट एक इनकम टैक्स आफिसर करता है और रिफंड का काम दूसरा करता है। लेकिन उसके बाद भी मैं चैलेंज करता हू मंत्री महोदय को कि आज उस सिस्टम को लागू हुए तीन चार महीने हो गए कोई भी इम्प्रूवमेंट रिफंड के अन्दर नहीं हुआ है। आज भी यही हाल है कि पैसे दीजिए तब तो आपको रिफंड मिलेगा नहीं तो आई० टी० ओ० के कहने के बाद भी जो नीचे का स्टाफ है वह रिफंड नहीं देता। मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं कि जिसमें रिफंड नहीं दिया जाता। असेसी चक्कर काटते रह जाते हैं। ऐसे भी केसेज मैंने देखे हैं कि इनकम

(श्री कंवरलाल गुप्त)

टैक्स आफिसर आर्डर पास कर देता है, यह भी लिख देता है कि रिफंड ईश्यू कर दो लेकिन दफ्तर वाले नहीं करते। जब तक उनकी पूजा नहीं होती तब तक नहीं करते। इसलिए मैंने यह अमेंडमेंट दिया है कि अगर रिफंड नहीं दिया जाता तो जिनका 6 महीने से ज्यादा ड्यू होता है और इन्टरेस्ट ड्यू होता है, अगर वह इन्टरेस्ट नहीं देते तो पीनल इन्टरेस्ट उनको देना चाहिए। मन्त्री महोदय से मैं कहना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि वह योग्य आदमी हैं, रीजनेबल भी हैं, बैलेंस्ड भी हैं, अगर आप को अपनी मशीनरी पर विश्वास है कि इन्टरेस्ट देंगे, पहले तो छः महीने तक रिफंड करना चाहिए, उसके बाद इंटरेस्ट शुरू होता है, लेकिन अगर कोई इन्टरेस्ट न दे तो आप पीनल इंटरेस्ट देने की मेरी मांग को मान लीजिए। वह बड़ी रीजनेबल चीज होगी। इससे कम से कम जो डिपार्टमेंट की धांधली है, इन-एफिशिश्येंसी है, वह तो आपके सामने आयेगी, जब आपको पीनल इन्टरेस्ट देना पड़ेगा तो आप पूछ सकते हैं कि आपने यह रिफंड के साथ इन्टरेस्ट क्यों नहीं दिया।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, hon. Member may continue after lunch.

13·01 hrs.

Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok-Sabha re-assembled after Lunch at four minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

RE: SITUATION IN WEST BENGAL

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Kanwar Lal Gupta may resume his speech.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रस्ताव भी है और व्यवस्था का प्रश्न भी है—अपने नियमों के अनुसार। मैं आपका ध्यान दो नियमों की ओर खींचना चाहता हूं—एक नियम 109 है और दूसरा 340। मैं इस वक्त बहस को मुल्तवी रखने का प्रस्ताव ला रहा हूं—क्योंकि पश्चिमी बंगाल विधान सभा के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि गवर्नर के द्वारा जो सरकार बनाई गई है, वह गैर-कानूनी है, अवैध है, असंवैधानिक है और उसको . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will read the Rule.

श्री मधु लिमये : मैं खुद पढ़ने वाला हूं। एक मिनट मुझे दीजिये, इसमें कुछ नुकसान नहीं होगा। मैं यह अर्ज कर रहा था कि उसके बाद उन्होंने पश्चिमी बंगाल विधान सभा की बैठक को अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया। यह इतनी महान घटना है कि इस नियम के अन्तर्गत मेरा प्रस्ताव कैसे आता है—यह अब मैं आपको बतलाता हूं—109 नियम इस प्रकार है—

"At any stage of a Bill which is under discussion in the House, a motion that the debate on the Bill be adjourned may be moved with the consent of the Speaker."

MR. DEPUTY-SPEAKER : With the consent of the Speaker.

श्री मधु लिमये : मैं तो आपकी सम्मति ले रहा हूं। मैं कोई ज्यादती नहीं कर रहा हूं, आपसे सम्मति मांग रहा हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Already, Shri Tridib Kumar Chaudhuri has approached me. If you raise it, I will consider it. I have not given my consent to anyone.

श्री मधु लिमये : तो ठीक है अब मैं नियम 340 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर बहस चला रहा हूं—

"At any time after a motion has been made, a member may move that the debate on the motion be adjourned."

इसमें तो आपकी सम्मति की बात नहीं है। तो यह प्रस्ताव भी है और यह बिल भी है। इस लिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल में जो असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई है, उस पर तत्काल बहस की जाय। इस बहस को इस वक्त स्थगित रखा जाय तथा तत्काल बंगाल की परिस्थिति पर यह मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, वह बयान दे दें और हम लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिले।